कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,जालोर

क्रमांकः मुजिशिअ/जालोर/संस्था/वि.सं.यो./2026/628 दिनांकः 25/08/2026

विज्ञप्ति

विषयः— शिक्षा विभाग द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों—विद्यालयों, आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिये " विद्या संबल योजना" के संबंध में।

प्रसंगः— श्रीमान मुख्य सचिव महोदय राजस्थान सरकार जयपुर के पत्रांक F.17(10)Edu-1/q.Edu./ 2022-00494-2429645 जयपुर दिनांक 18.08.2026 (रैफरेंस नं. 24116683) वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6(2) वित्त/साविलेनि/2021 दिनांक 30.03.2021

उपर्युक्त विषयान्तर्गत शिक्षा विभाग में विभिन्न विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त होने के कारण नियमित अध्यापन कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है एवं विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर पर विपरीत प्रभाव पडता है। शिक्षण संस्थानों में अध्यापन व्यवस्था सुचारू बनाने के लिए विद्या संबल योजना (शहरी क्षैत्र के विद्यालयों को छोडते हुए) लागु की जा रही है। इसी क्रम में पात्र अभ्यार्थियों/सेवानिवृत शिक्षकों के आवेदन आमंत्रित करने एवं चयन प्रक्रिया के संबंध में निम्न लिखित समयसारणी निर्धारित की जाती है—

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	समय
1	पीईईओ/प्रधानाचार्य विद्यालय स्तरीय चयन समिति का गठन	27.08.2026	—
2	विद्यालय के एवं अधीनस्थ विद्यालयों के शाला दर्पण पोर्टल पर प्रदर्शित पदवार एवं विषयवार (व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक लेवल—1/लेवल—2) रिक्त पदों की सूची प्रकाशित करना एवं पात्र अभ्यर्थियों के भरे हुए आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि	28.08.2026 से 31.08.2026	अपरान्ह 01.00 बजे तक
3	विद्यालय स्तरीय कमेटी द्वारा आवेदनों की जांच एवं निर्धारित मेरिट के आधार पर प्रत्येक रिक्त पद के विरूद्ध 3—3 अभ्यर्थियों का चयन कर चयन सूची तैयार करना	01.09.2026	—
4	विद्यालयों द्वारा चयनित अभ्यार्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची सीबीईओं कार्यालय में पहुंचाना	02.09.2026	प्रातः 11.00 बजे तक
5	सीबीईओ द्वारा चयनित अभ्यार्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची सीडीईओं कार्यालय में पहुंचाने हेतु अन्तिम तिथि	02.09.2026	सायं 6.00 बजे तक
6	जिला स्तरीय कमेटी द्वार चयन सूची अनुमोदन तिथि	3.09.2026	प्रातः 11.00 बजे तक

25/8/24

(मनोहरलाल गोदारा)
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा,जालोर

क्रमांकः मुजिशिअ/जालोर/संस्था/वि.सं.यो./2026/ दिनांकः

प्रतिलिपिः— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. श्रीमान निदेशक महोदय, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
2. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जालोर
3. श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय समिति (विद्या संबल योजना) जालोर।
4. श्रीमान संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा पाली मण्डल पाली।
5. श्रीमान सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी को राज्य हित में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।
6. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक/प्रारम्भिक जालोर।
7. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जिला—जालोर।
8. समस्त पीईईओ/यूसीईईओ, संबंधित प्रधानाचार्य राउमावि जिला—जालोर।
9. रक्षित पत्रावली।

25/8/24

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा,जालोर